क्रमांक 32/276/85-4जी0 एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार,
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल,
रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़ ।

दिनांक चण्डीगढ़, 29, मई 1986

विषय :—50/55 वर्ष की आयु से आगे सेवा में वृद्धि प्रदान करना—केसों को भेजने में अनावश्यक विलम्ब को रोकना ।

श्रीमान जी,

मुझे आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 28/138/81 जी.सी.-I दिनांक 4-9-91 तथा 32/65/82-4 जी.एस.-1, दिनांक 27-12-82 की ओर दिलाने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि इन पत्रों में यह स्पष्ट किया गया था कि 50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखे जाने वाले केसों को उनके रिव्यू की तिथि (अर्थात जिस तिथि को कोई अधिकारी 50/55 वर्ष पूरे करता है) से 6 मास पहले इस विभाग को भेजे जाया करें ताकि यदि आवश्यक हो तो सम्बधित अधिकारी/कर्मचारी को उनकी निश्चित आयु पूरी होने की तिथि से पूर्व 3 मास का नोटिस उचित समय पर दिया जा सके । यह भी अनुरोध किया गया था कि अगले 2 वर्षों में रिव्यू होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के केसों की सूची पहले ही बनाकर रख ली जाये ताकि केसों को उचित समय पर प्रस्तुत किया जा सके ।

(2) परन्तु देखने में आया है कि उक्त हिदायतों की कड़ाई से पालना नहीं की जा रही है और बहुत से विभाग इस प्रकार के केसों को अब भी बहुत विलम्ब से भेज रहे हैं । ऐसा होने से ऐसे मामलों में वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती । इसलिए पुन: अनुरोध किया जाता है कि इन हिदायतों की प्रत्येक स्तर पर दृढ़ता से पालन की जाये । भविष्य में कोताही करने वाले विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाह करने के लिए उनके प्रशासकीय सचिवों को लिख दिया जाएगा ।

3. कृपया उपयुक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना के लिए इन अनुदेशों को सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में ला दिया जाये ।

भवदीय
हस्ता/—
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति सभी वित्तायुक्तों तथा प्रशासकीय सचिवों को उनकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाती है । वे कृपया इन हिदायतों को अपने अधीन सभी सम्बंधित के ध्यान में ला दें ।

हस्ता/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

सभी वित्तायुक्त एवं प्रशासकीय सचिव,